कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित पुस्तकालयाध्यक्ष श्रेणी–तृतीय एवं प्रयोगशाला सहायक श्रेणी–III का स्थानान्तरण/समायोजन निम्नानुसार तत्काल

S. No.	Name	Post	Subject	Present Posting Place		New Posting Place	
				Name of School	District	Name of School	District
1	GAYTRI SHARMA	Librarian (III Gr.)	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANDARSINDARI (221532)	AJMER	APO DEO SECONDARY HQ JAIPUR	JAIPUR
2	SHIV DATT	Librarian (III Gr.)	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UMMEDABAD (213592)	JALOR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHOPALPURA (212247)	GANGANAGAR
3	MADAN LAL RANWA	Lab Assistant (III Gr.)	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL UDAIPURWATI (216155)	JHUNJHUNUN	APO DEO SECONDARY HQ SIKAR	SIKAR
4	DILISHA SAINI	Lab Assistant (III Gr.)	---	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL W.N.1 DHOLIPAL (212319)	HANUMANGARH	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL HEWSON MANDI JODHPUR (220378)	JODHPUR

उक्त स्थानान्तरण आदेश निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन जारी किये जाते है:–

1 उक्त स्थानान्तरण आदेश सीधी भर्ती से पदस्थापित परीवीक्षाधीन कार्मिकों के लिए प्रभावी नहीं होगा। अतः परीवीक्षाधीन कार्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं किया जावें।

2 स्थानान्तरित कार्मिक को उसके सम्बन्धित पद पर ही कार्यग्रहण कराया जावें। अन्य पद के विरूद्व कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें ।

3 राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र के विद्यालय हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

4 कार्मिक का जिला परिवर्तन होने पर कार्यमुक्ति तथा कार्यग्रहण के समय स्वेच्छा से स्थानान्तरण अंकित करते हुये पूर्व जिले की वरिष्ठता विलोपन की सहमति का शपथ–पत्र लिया जाकर वरिष्ठता विलोपन (प्रपत्र–6 जारी कर) की कार्यवाही की जावें।

5 TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

6 यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यकता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैन्सर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण)/परीवीक्षाधीन कार्मिक एवं सेवा निवृति में एक वर्ष शेष रहने वाली श्रेणियों में आ रहा हो तो कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

7 माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें।

8 स्वेच्छा से अन्तर–जिला स्थानान्तरित कार्मिक को योगकाल एवं यात्रा भता देय नहीं होगा।

9 नवीन स्थानान्तरित जिले में स्थानान्तरित कार्मिक की वरिष्ठता के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक का जिला परिवर्तन होने के कारण राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के नियम–29 के परन्तुक 10 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण के अनुसार नवीन जिले में वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार नये जिले में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे कार्यग्रहण की दिनांक से अवधारित की जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

10 स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

11 उक्त आदेश द्वारा स्थानान्तरित कार्मिक के नव पदस्थापित विद्यालय में सम्बन्धित पद पर अगर पूर्व से कोई कार्मिक कार्यरत है तो संस्था प्रधान द्वारा पूर्व से कार्यरत कार्मिक को पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा मे (APO) कर सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी कार्यालय को पदस्थापन हेतु सुपूर्द किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

11 निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक : 27.09.2021 एवं 28.09.2021 द्वारा राज्य के अलवर, धौलपुर, उदयपुर एवं प्रतापगढ जिलों में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है अतः इन जिलों से स्थानान्तरित कार्मिकों को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्ति के पश्चात ही किया जाना सुनिश्चित करावें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/तृ.वे. एवं समकक्ष/स्था./2021/127 दिनांक– 30/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर
3 शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप–2 विभाग राजस्थान जयपुर
4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय
5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक,
8 सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ
9 संबन्धित संस्था प्रधान /कार्मिक
10 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

Scanned with CamScanner